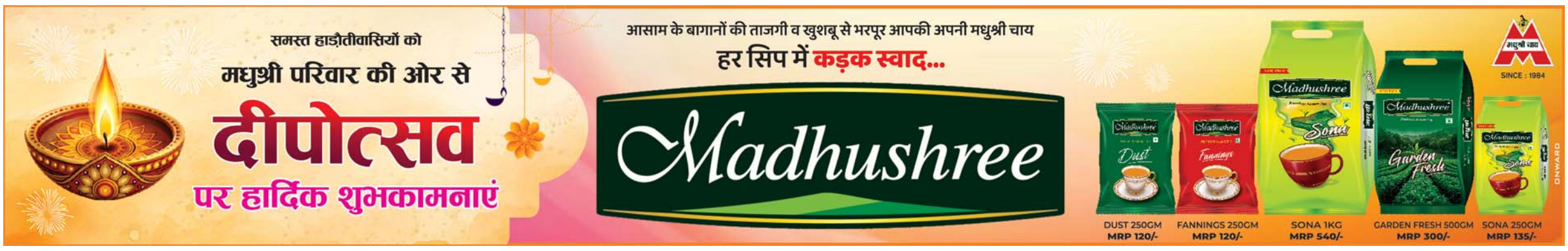

स्पीकर बिरला ने दीपावली की राम-राम की

कोटा, (निसं)। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला शुक्रवार को सांगोद क्षेत्र के प्रवास पर रहे। इस दौरान उन्होंने सांगोद नगर, देवली मांझी, सीमलिया और गढ़ेपान में क्षेत्रवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं दी। दीपावली की रामा-श्यामी करने पहुंचे बिरला ने कस्बों के प्रमुख बाजारों में व्यापारियों के साथ बाजार में खरीद करने आए आमजन को भी दीपावली की शुभकामनाएं दी साथ ही वरिष्ठजन का आशीर्वाद भी लिया। जगह-जगह पुष्पवर्षा और आतिशबाजी के बीच स्पीकर बिरला का स्वागत किया गया।

बिरला ने कार्यकर्ताओं के साथ संवाद में कहा कि दीपावली का पर्व खुशियां बांटने का भी अवसर है। हम अपने आस-पास ऐसे परिवारों को भी याद करें, जिन्हें हमारे सहयोग और स्नेह की आवश्यकता है। प्रयास करें कि इस दीपावली हमारे घरों के साथ-साथ उनके जीवन में भी उजियारा और मुस्कान पहुंच सके। इसके पूर्व मार्ग में कैथून, गलाना, खेड़ा रामपुर और कुराड़ व आजादपुरा में भी दीपावली की रामा-श्यामी की तथा समस्याएं सुनकर संबंधित अधिकारियों को समाधान के निर्देश दिए। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर, जिलाध्यक्ष प्रेम गोचर सहित आदि भी साथ मौजूद रहे।

पूर्व मंत्री को दी श्रद्धांजलिः- स्पीकर बिरला पूर्व मंत्री भरत सिंह के पैतृक गांव कुंदनपुर पहुंचे, यहां उन्होंने उनके परिजनों से भेंट कर संवेदनाएं व्यक्त की। बिरला ने कहा कि जनसेवा को अपने जीवन का ध्येय बनाने वाले भरत सिंह सदैव अपने सादगीपूर्ण व्यक्तित्व, जनहित के प्रति समर्पण के लिए स्मरण किए जाएंगे। उनकी कर्मनिष्ठा, सिद्धांतनिष्ठा और लोकहित के प्रति प्रतिबद्धता हम सभी के लिए प्रेरणास्रोत है। स्पीकर बिरला शनिवार को केशवपुरा राम जानकी मंदिर मार्ग पर बने सिंह द्वारा और दक्षिण निगम के वार्ड 67,76,77 व 80 में करीबन 8.63 करोड़ की लागत के विभिन्न विकास कार्यों को लोकार्पण एवं शिलान्यास करेंगे। इसके साथ वे केशवपुरा व महावीर नगर में दीपावली की रामा-श्यामी भी करेंगे।

घटिया निर्माण पर बुलडोजर चला

कोटा, (निसं)। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर शुक्रवार को फिर से आमली झाड़ गांव पहुंचे। जहां उन्होंने स्वयं खड़े रहकर कमजोर गुणवत्ता की सामग्री से चल रहे घटिया निर्माण कार्य को तुड़वाया। ग्रामीणों के साथ बुलडोजर लेकर पहुंचे मंत्री नागर ने पहले गांव के तालाब पर बनाए गए घाट और बाउंड्रीवाल को तुड़वाया। इसके बाद में स्कूल की छत पर पहुंचे जहां पर मशीन से छत को खुदवाना शुरू किया।

इसके बाद पूरी छत को जमींदोज करने के निर्देश दिए। मंत्री नागर के निर्देश पर बाद में बुलडोजर कार्रवाई के तहत स्कूल की छत को गिरा दिया गया है। उल्लेखनीय है कि बुधवार को अर्द्धरात्रि में मंत्री नागर आमलीझाड़ गांव पहुंचे थे। जहां ग्रामीणों ने स्कूल की छत में घटिया निर्माण सामग्री के उपयोग के आरोप लगाए थे। अधिकारियों से बात करने पर घटिया निर्माण वाली छत को तुड़वाना बताया गया। मंत्री नागर जब रात में ही ग्रामीणों के साथ स्कूल की छत पर पहुंचे तो वहां छत को बिना तोड़े ही आगे का निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया था। ऐसे में, मंत्री ने अधिकारियों को लताड़ लगाई थी। अब मंत्री शुक्रवार को फिर से गांव में पहुंचे और खुद की उपस्थिति में पीला पंजा चलवाया।

ग्राम झाड़आमली में 3.91 करोड़ रुपए की लागत से स्कूल भवन का निर्माण कार्य चल रहा है। जिसमें 30 कमरों का दो मंजिला स्कूल भवन बनना है। ग्रामीणों के द्वारा अधिकारियों से छत में घटिया निर्माण की शिकायत की गई थी। लेकिन समसा के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं होने पर ग्रामीणों ने ऊर्जा मंत्री हीरालाल नगर से शिकायत की। जब मंत्री नागर ने अधिकारियों से बात की तो उन्होंने छत को तोड़कर दोबारा बनाने की बात कही, लेकिन जब मंत्री नागर छत की जांच करने पहुंचे तो अधिकारियों का झूठ पकड़ा गया। यहां पर कुछ दिनों पूर्व डाली गई छत घटिया थी। अधिकारियों ने तोड़कर दोबारा बनाने की बात झूठ बोल दी थी। अब मंत्री नागर ने बुलडोजर एक्शन कर छत को तुड़वाया है।

ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने आमली झाड़ गांव में ही घटिया गुणवत्ता के तालाब पर निर्मित घाटों और बाउंड्रीवॉल को भी ध्वस्त करवाया है। यहां अटल भूजल योजना के तहत 77 लाख रुपए की लागत से 31 मई 2025 को निर्माण कार्य प्रारम्भ हुआ था।

राजस्थान सरकार
कार्यालय सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग कोटा खण्ड कोटा

राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17 के अधीन नोटिस
समस्त संबंधित व्यक्तियों को
मुकदमा नम्बर 123/2025
(नाम वर्णन तथा निवास स्थान)

श्री नवीन कुमार पुत्र श्री द्वारका लाल वार्ड नं. 4 बपावरकलां तह. सांगोद जिला कोटा द्वारा राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17 (2) के अन्तर्गत प्रन्यास "श्री वीर तेजाजी धाम" बपावरकलां तह. सांगोद जिला कोटा के सम्बन्ध में पंजीयन हेतु जांच किये जाने के लिये आवेदन-पत्र दिया है।

अतएव धारा 18 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है, में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिये, यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से 60 दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां यदि कोई हो प्रस्तुत करें।

और सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां प्रस्तुत नहीं की गई तो उक्त आवेदन-पत्र निर्धारित प्रक्रिया अनुसार निर्णित किया जायेगा तथा जांच प्रपत्र मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जायेगा।

आज दिनांक 16.10.2025 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय की मोहर के अधीन जारी किया गया। प्रकरण में आगामी सुनवाई की दिनांक 18.12.2025 है।

सहायक आयुक्त
देवस्थान विभाग कोटा

राजस्थान सरकार
कार्यालय सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग कोटा खण्ड कोटा

राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17 के अधीन नोटिस
समस्त संबंधित व्यक्तियों को
मुकदमा नम्बर 126/2025
(नाम वर्णन तथा निवास स्थान)

श्री भरतलाल शर्मा पुत्र श्री जगन्नाथ शर्मा 36-ए शास्त्री सदन बापू कोलोनी रंगपुर रोड कोटा जं. द्वारा राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17 (2) के अन्तर्गत प्रन्यास "श्री श्याम सेवा समिति" 36-ए शास्त्री सदन बापू कोलोनी रंगपुर रोड कोटा जं. के सम्बन्ध में पंजीयन हेतु जांच किये जाने के लिये आवेदन-पत्र दिया है।

अतएव धारा 18 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है, में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिये, यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से 60 दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां यदि कोई हो प्रस्तुत करें।

और सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां प्रस्तुत नहीं की गई तो उक्त आवेदन-पत्र निर्धारित प्रक्रिया अनुसार निर्णित किया जायेगा तथा जांच प्रपत्र मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जायेगा।

आज दिनांक 17.10.2025 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय की मोहर के अधीन जारी किया गया। प्रकरण में आगामी सुनवाई की दिनांक 18.12.2025 है।

सहायक आयुक्त
देवस्थान विभाग कोटा

राजस्थान सरकार
कार्यालय सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग कोटा खण्ड कोटा

राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17 के अधीन नोटिस
समस्त संबंधित व्यक्तियों को
मुकदमा नम्बर 128/2025
(नाम वर्णन तथा निवास स्थान)

श्री भरतलाल शर्मा पुत्र श्री जगन्नाथ शर्मा 36-ए शास्त्री सदन बापू कोलोनी रंगपुर रोड कोटा जं. द्वारा राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17 (2) के अन्तर्गत प्रन्यास "श्री गुरु कार्ण्यि हनुमत सेवा समिति" 36-ए शास्त्री सदन बापू कोलोनी रंगपुर रोड कोटा जं. के सम्बन्ध में पंजीयन हेतु जांच किये जाने के लिये आवेदन-पत्र दिया है।

अतएव धारा 18 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है, में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिये, यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से 60 दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां यदि कोई हो प्रस्तुत करें।

और सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां प्रस्तुत नहीं की गई तो उक्त आवेदन-पत्र निर्धारित प्रक्रिया अनुसार निर्णित किया जायेगा तथा जांच प्रपत्र मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जायेगा।

आज दिनांक 17.10.2025 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय की मोहर के अधीन जारी किया गया। प्रकरण में आगामी सुनवाई की दिनांक 18.12.2025 है।

सहायक आयुक्त
देवस्थान विभाग कोटा

अपराधी की अवैध सम्पत्ति पर चला पीला पंजा

कोटा, (निसं)। नशे के विरूद्ध ग्रामीण पुलिस की ओर से चलाये जा रहे अभियान ऑपरेशन क्लीन स्वीप के तहत सुल्तानपुर पुलिस टीम ने अवैध मादक पदार्थ में लिप्त आरोपी द्वारा नगरपालिका सुल्तानपुर की जमीन पर अतिक्रमण कर बनाये गये अवैध मकान को नगरपालिका सुल्तानपुर के सहयोग से ध्वस्त करने की कार्यवाही की। ग्रामीण पुलिस अधीक्षक सुजीत शंकर ने बताया कि अवैध मादक पदार्थो मे लिप्त अपराधी शाल्या बस्ती करबला चौक सुल्तानपुर निवासी शाहरूख उर्फ भूरिया द्वारा अवैध मादक पदार्थों के कारोबार से अर्जित काली कमाई से नगरपालिका सुल्तानपुर की भूमि पर अतिक्रमण कर बनाये गये अवैध मकान को थाना सुल्तानपुर व नगरपालिका सुल्तानपुर के सहयोग से ध्वस्त किया गया।

ग्रामीण एसपी ने बताया कि ग्रामीण इलाके में नशाखोरी जड़ से समाप्त करने तथा जिले को नशा मुक्त बनाने हेतु आपरेशन क्लीन स्वीप अभियान चलाया।

नाम परिवर्तन

मेरे पुत्र (वरूण सिंगोरिया) VARUN SINGORIYA के स्कूल में मेरा (माता का नाम) टिया सिंगोरिया (TIYA SINGORIA) अंकित है जबकि मेरा सही नाम हेमलता (HEMLATA) है जो सही है। भविष्य में पुत्र के स्कूल रिकॉर्ड में यही लिखा पड़ा जाए। हेमलता मकान नम्बर-2/4, गोकुल कोलोनी, बोरखेडा, कोटा

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी कोटा विकास प्राधिकरण (केडीए)

क्रमांकः LU2012/KOT/2025-26/101043 **लोक सूचना** दि.17.10.2025

श्री BHERULAL NAGAR पुत्र श्री PANNA LAL जाति NAGAR निवासी RAIPURA, BABU KIRANA KE SAMNE WALI GALI, KOTA श्री MAHAVEER PRASAD KUSHWAHA पुत्र श्री GAJANAND KUSHWAH जाति KUSHWAH निवासी GANESH MOHALLA DHAKADKHERI, KOTA श्री SURENDRA KUMAR YOGI पुत्र श्री RAMPAL YOGI जाति NATH (YOGI) निवासी VIVEKANAND NAGAR, KOTA ने इस कार्यालय मे नीचे उल्लिखित भूमि का **आवासीय** प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारी के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात्:-

क्र. सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	क्षेत्रफल (हैक्टे.)
1.	धाकड़ खेड़ी, लाडपुरा (कोटा)	(1.) BHERULAL S/O PANNA LAL (2.) MAHAVEER PRASAD KUSHWAHA S/O GAJANAND KUSHWAH (3.) SURENDRA KUMAR YOGI S/O RAMPAL YOGI	1083/334	1600	0.16
				कुल	0.16

इसलिए इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियो को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारी के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर अपनी एसएसओ आईडी से लॉग इन कर 90-A For Development Authority (UDH) आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेज को अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते है। उपर्युक्त नियम समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव मे यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नही है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जावेगा। यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 17/10/2025 को जारी की गयी।

प्राधिकृत अधिकारी कोटा विकास प्राधिकरण (केडीए)

राजस्थान आवासन मण्डल कोटा वृत्त कोटा

क्रमांक 2084 **जाहिर आम सूचना** दिनांक - 16.10.25

आवास संख्या 6-एफ-88 विज्ञान नगर विस्तार योजना, कोटा का आवंटन मण्डल द्वारा श्री लक्ष्मी शंकर शर्मा पुत्र श्री मथुरा लाल शर्मा को किया गया। इस आवास का नियमितिकरण श्रीमती कलावती पत्नी श्री भगत मल के नाम दिनांक 09.05.2008 को किया गया। इस आवास का पंजीयन श्रीमती कलावती पत्नी श्री भगत मल द्वारा दिनांक 03.05.2010 को अपने पक्ष में करवाया गया। पंजीयन उपरांत श्रीमती कलावती पत्नी श्री भगत मल द्वारा उक्त आवास का बैचान जरिये विक्रय पत्र आलेखित कर दिनांक 11.02.2014 को श्रीमती शमीम बानो पत्नी श्री अब्दुल सलाम को किया गया। श्रीमती शमीम बानो पत्नी श्री अब्दुल सलाम द्वारा उक्त आवास का बैचान जरिये विक्रय पत्र आलेखित कर दिनांक 10.05.2017 को श्रीमती अनुराधा गुलाटी पत्नी श्री मुकेश गुलाटी को किया गया। श्रीमती अनुराधा गुलाटी पत्नी श्री मुकेश गुलाटी द्वारा इस कार्यालय में प्रतिवेदन प्रस्तुत कर आवास संख्या 6-एफ-88 विज्ञान नगर विस्तार योजना, कोटा को विक्रय पत्र के आधार पर अपना नाम आवास के मण्डल अभिलेख में दर्ज करने हेतु आवेदन किया गया है।

अतः उक्त आवास के मण्डल अभिलेख में विक्रय पत्र के आधार पर श्रीमती अनुराधा गुलाटी पत्नी श्री मुकेश गुलाटी का नाम दर्ज करने में किसी भी पक्षकार/व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो 15 दिवस के अन्दर इस कार्यालय को सूचित करें। अन्यथा यह मानते हुए कि उक्त आवास के मण्डल अभिलेख में विक्रय पत्र के आधार पर श्रीमती अनुराधा गुलाटी पत्नी श्री मुकेश गुलाटी का नाम दर्ज किये जाने में किसी भी व्यक्ति/पक्षकार को कोई आपत्ति नहीं है। उक्त आवास के मण्डल अभिलेख में विक्रय पत्र के आधार पर श्रीमती अनुराधा गुलाटी पत्नी श्री मुकेश गुलाटी के नाम दर्ज कर दिया जावेगा।

उप आवासन आयुक्त राजस्थान आवासन मण्डल, कोटा वृत्त कोटा

कार्यालय नगर निगम, कोटा उत्तर (राज.)

क्रमांकः-ननिकोउ/जोन-प्रथम/भ.नि.अनु./2025/14834 दिनांकः 17.10.25

भू-उपयोग परिवर्तन बाबत् सार्वजनिक विज्ञप्ति

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि श्रीमती राज श्री भाटी पत्नी श्री गोपाल सिंह भाटी निवासी फ्लेट नम्बर 400, चम्बल रेजीडेन्सी सिविल लाईन नयापुरा कोटा (राज.) ने नगर निगम कोटा उत्तर में आवेदन प्रस्तुत कर भूखण्ड संख्या 1, भीमगंजमण्डी कोटा जंक्शन, कोटा क्षेत्रफल 222.22 वर्गगज का आवासीय से व्यावसायिक प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन करने का निवेदन किया है। भूखण्ड संख्या 1, भीमगंजमण्डी कोटा जंक्शन, कोटा क्षेत्रफल 222.22 वर्गगज का स्वामित्व नगर निगम कोटा उत्तर द्वारा कार्यालय आदेश क्रमांक LSG/KOTA NORTH/MUT/2025-26/139159 दिनांक 17.09.2025 से श्रीमती राज श्री भाटी पत्नी श्री गोपाल सिंह भाटी के नाम हस्तांतरित किया गया। आवेदिता द्वारा प्रस्तुत आवेदन अनुसार नगर निगम कोटा उत्तर में उक्त भूखण्ड का आवासीय से व्यावसायिक प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन करने की कार्यवाही की जा रही है। उक्त भूखण्ड का आवासीय से व्यावसायिक प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन करने में किसी व्यक्ति, संस्था या अन्य किसी को भी जो उक्त भूखण्ड से संबंध रखता है, को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति जारी होने के 15 दिवस में अपनी आपत्ति लिखित में उपायुक्त जोन प्रथम नगर निगम कोटा उत्तर कार्यालय में प्रस्तुत करें। बाद मियाद आपत्ति मान्य नही होगी।

उपायुक्त नगर निगम कोटा उत्तर

कार से जप्त किया 61 किलो डोडा चूरा, दो आरोपी गिरफ्तार

कोटा, (निसं)। रेलवे कॉलोनी पुलिस टीम ने नशे के खिलाफ चलाये जा रहे ऑपरेशन गरूड़व्यूह के तहत कार्यवाही करते हुए कार से अवैध मादक पदार्थ 61 किलो 800 ग्राम डोडा चूरा को जप्त कर दो आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस टीम की कार्यवाही के दौरान दोनो आरोपियों ने भागने का प्रयास किया, परन्तु मौके पर सर्तक पुलिस टीम ने दोनो आरोपियों का पीछा कर आरोपियों को पकड़ लिया। शहर पुलिस अधीक्षक तेजस्वनी गौतम ने बताया कि रेलवे कॉलोनी थानाधिकारी रामस्वरूप मीणा को इलाके में गश्त के दौरान सूचना मिली कि फेमस दूध डेयरी चलाने वाला लड़का कालू गुर्जर अपने साथ एक अन्य को लेकर कई दिनों से कार से अवैध गतिविधियां कर रहा है, उसके पास कोई अवैध हथियार भी हो सकता है। एसपी ने बताया कि सूचना पर रेलवे कॉलोनी थानाधिकारी रामस्वरूप मीणा मय जाप्ता महाराणा प्रताप मैरिज गार्डन के समीप फेमस दूध डेयरी के पास पहुंचे। मौके पर दो जनों को डिटेन कर अवैध मादक पदार्थ 61 किलो 800 ग्राम डोडा चूरा पकड़ा